संख्या-402/2023/1426/22-2-2023-17(1741)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपेन्द्र दुबे पुत्र श्री बेचन दुबे, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023) दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपेन्द्र दुबे पुत्र श्री बेचन दुबे द्वारा दिनांक 20.05.2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईस डिस्टलरी गाजीपुर द्वारा वसूले गये शराब के रूपये व टाटा सुमों को लूट लिया व फैक्ट्री के 02 सुरक्षा गार्डो की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-515/2003 भा0द0वि0 की धारा-396, 201, 412 के अन्तर्गत न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, वाराणसी के आदेश दिनांक-23.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 17 वर्ष, 06 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने, अपराध कारित करने में सक्षम होने, जेल से रिहा होने के उपरान्त समाज में भय व्याप्त होने तथा परिवार आर्थिक स्थिति अच्छी न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक-16.01.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष 06 माह 23 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, 01 सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर रिहा किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गोपेन्द्र दूबे पुत्र बेचन दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपेन्द्र दुबे (बन्दी संख्या-47251) पुत्र श्री बेचन दूबे, निवासी जनपद- गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-402/2023/1426(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-402/2023/1426/22-2-2023-17(1741)/2022

दिनांक 23 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपेन्द्र दुबे पुत्र श्री बेचन दुबे द्वारा दिनांक 20.05.2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईस डिस्टलरी गाजीपुर द्वारा वसूले गये शराब के रूपये व टाटा सुमों को लूट लिया व फैक्ट्री के 02 सुरक्षा गार्डो की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-515/2003 भा0द0वि0 की धारा-396, 201, 412 के अन्तर्गत न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, वाराणसी के आदेश दिनांक-23.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 17 वर्ष, 06 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने, अपराध कारित करने में सक्षम होने, जेल से रिहा होने के उपरान्त समाज में भय व्याप्त होने तथा परिवार आर्थिक स्थिति अच्छी न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

2- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक-16.01.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष 06 माह 23 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, 01 सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर रिहा किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गोपेन्द्र दूबे पुत्र बेचन दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा प्रश्नगत बंदी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।